**योजनान्तर्गत मानव संसाधन की व्यवस्था-**

- **राज्य स्तर पर**- ०६
- **जनपद स्तर पर**- प्रति जनपद ०४ समन्वयक
- **विकासखण्ड स्तर पर**- प्रति विकासखण्ड ०१ समन्वयक
- **ग्राम पंचायत स्तर पर**- प्रति ग्राम पंचायत ०२ लोक शिक्षा केन्द्रों के प्रेरक

**कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर चयनित किए जाने वाले संविदा कर्मियों हेतु निर्देश**

जिला समन्वयक एवं विकासखण्ड समन्वयक हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, चयन के मापदण्ड एवं प्रतिमाह मानदेय निम्नवत् निर्धारित किया गया है:-

| पद | पदों की संख्या | शैक्षिक अर्हता | प्रस्तावित मानदेय |
|---|---|---|---|
| जिला समन्वयक | प्रति जनपद ०४ पद | न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक, सामाजिक कार्यों एवं साक्षरता के क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम ३ वर्ष का अनुभव रखने वाले/ प्रबन्धन की डिग्री रखने वालों को वरीयता। कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य। | रु. ६,०००/- प्रतिमाह |
| ब्लाक समन्वयक | प्रति विकासखण्ड ०१ पद | न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक, सामाजिक कार्यों एवं साक्षरता के क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम ३ वर्ष का अनुभव रखने वाले को वरीयता। कम्प्यूटर का ज्ञान अनिवार्य। | रु. ६,०००/- प्रतिमाह |

**जिला समन्वयक एवं विकासखण्ड समन्वयक के चयन हेतु चयन समिति निम्नवत् होगी:-**

| | | |
|---|---|---|
| १. | मुख्य विकास अधिकारी | अध्यक्ष |
| २. | अध्यक्ष, साधारण सभा (अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत) द्वारा नामित एक अधिकारी | सदस्य |
| ३. | कार्यकारिणी समिति के सदस्य-सचिव | सदस्य |

**चयन की प्रक्रिया/शर्तें**

१. पूर्व साक्षरता कार्यक्रम में कार्यरत रहे उत्कृष्ट कर्मी जो निर्धारित मापदण्ड/ शैक्षिक योग्यता पूर्ण करते हों, प्राथमिकता के आधार पर चयन में वरीयता प्रदान की जाय।

२. निजी वाहन रखने वाले को वरीयता प्रदान की जाय।

३. भूतपूर्व सैनिकों एवं सेवानिवृत्त अधिकारी जो निर्धारित योग्यता रखते हों, को वरीयता प्रदान की जाय।

४. संविदा की अवधि ११ माह की होगी।

५.संविदा कर्मी का कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी द्वारा अधिकतम एक बार ११ माह के लिए संविदा बढ़ायी जा सकती है।

६.चयन में पारदर्शिता तथा संवैधानिक नियमों का पालन किया जाय।

<u>चयन हेतु अन्य निर्देश</u>-

- उपरोक्त पदों पर रखे जाने वाले कर्मियों के लिए कम से कम एक हिन्दी के मुख्य समाचार पत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायें।
- साक्षर भारत मिशन-२०१२ दिनांक ३१.३.२०१२ तक के लिए स्वीकृत है। विज्ञप्ति में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- चयन समिति से चयनित अभ्यर्थियों की सूची का अनुमोदन जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला लोक शिक्षा समिति, कार्यकारिणी समिति से प्राप्त किया जाय।
- चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के मनोनयन पत्र सदस्य-सचिव, जिला लोक शिक्षा समिति के द्वारा निर्गत किये जायें।
- मानदेय की धनराशि भारत सरकार के नियमों के अधीन होगी।
- चयनित अभ्यर्थियों से जिला लोक शिक्षा समिति द्वारा इस आशय का अनुबन्ध पत्र लिया जाय, जिसमें निर्धारित संविदा की शर्तें, संविदा की अवधि आदि का स्पष्ट उल्लेख हो।
- चयन सम्बन्धी किसी विवाद पर विधिक एवं अन्य कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायित्व जिला लोक शिक्षा समिति का होगा।
- चयनित अभ्यर्थियों को उनके प्रशिक्षण के उपरान्त कार्य ग्रहण करने की तिथि से मानदेय का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।
- जिला समन्वयकों का मुख्यालय जनपद एवं ब्लाक समन्वयकों का मुख्यालय संबंधित विकासखण्ड होगा।
- चयनित अभ्यर्थियों के कार्यों का मूल्यांकन निरन्तर जिला लोक शिक्षा समिति एवं ब्लाक लोक शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा।
- संविदा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। इसका उल्लेख मनोनयन पत्र में अवश्य कर किया जाय।

## प्रेरकों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया

- प्रेरकों हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, चयन के मापदण्ड एवं प्रतिमाह मानदेय निम्नवत् निर्धारित किया गया है:-

| पद | पदों की संख्या | शैक्षिक अर्हता | प्रस्तावित मानदेय |
|---|---|---|---|
| प्रेरक | प्रति लोक शिक्षा केन्द्र - ०२ | न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल। | रु. २,०००/- प्रतिमाह |

## चयन समिति

- प्रेरकों का चयन **ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति** द्वारा किया जायेगा।

## चयन की प्रक्रिया/शर्तें-

1- प्रेरकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। उच्च शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाय।

2- पूर्व में साक्षरता कार्यक्रमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जो निर्धारित मापदण्ड को पूर्ण करते हों, को चयन में वरीयता प्रदान की जाय।

3- न्यूनतम आयु १८ वर्ष।

4- दो प्रेरकों में से एक महिला प्रेरक का चयन अनिवार्य।

5- प्रेरक संबंधित ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी होगा।

6- कमजोर वर्गों एवं अन्य ऐसे समुदाय जिन्हें शासन द्वारा विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण प्रदान किया गया है, का चयन अनिवार्य रूप से किया जाय।

## चयन हेतु अन्य निर्देश-

- प्रेरकों का चयन ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। पदों के सम्बन्ध में जानकारी ग्राम पंचायत की बैठक में दी जायेगी तथा इसकी लिखित सूचना भी ग्राम पंचायत के कार्यालय में चस्पा की जाय।
- चयनित सूची को जिला लोक शिक्षा समिति की कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रेरकों का मनोनयन जारी किया जाय।
- साक्षर भारत मिशन-२०१२ ३१.३.२०१२ तक के लिए स्वीकृत है। संविदा कर्मियों के मनोनयन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
- प्रेरक के मनोनयन ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाय।
- चयनित अभ्यर्थियों को उनके प्रशिक्षण के उपरान्त कार्य ग्रहण करने की तिथि से मानदेय संबंधित बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

- चयन सम्बन्धी किसी विवाद पर विधिक एवं अन्य कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायित्व जिला लोक शिक्षा समिति का होगा।
- चयनित अभ्यर्थियों के कार्यों का निरन्तर जिला/ब्लाक लोक शिक्षा समिति एवं ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा।
- मनोनयन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है, इसका उल्लेख मनोनयन पत्र में अवश्य किया जाय।

**प्रथम चरण के चयनित जनपद**

- साक्षर भारत मिशन-२०१२ के अन्तर्गत प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा २६ जनपदों का चयन किया गया है, जो निम्नवत् हैं:-

  आगरा, अलीगढ़, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बदायूँ, देवरिया, इटावा, फतेहपुर, गौतमबुद्धनगर, गाजीपुर, हाथरस, झांसी, कन्नौज, कुशीनगर, महराजगंज, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, संतकबीरनगर, उन्नाव एवं वाराणसी)

- योजनान्तर्गत प्रथम चरण के २६ जनपदों में **भौतिक लक्ष्य** निम्नवत् हैं:-

| आच्छादित क्षेत्र | प्रथम चरण के २६ जनपद |
|---|---|
| १. कुल विकासखण्ड | ३२५ |
| २. कुल ग्राम पंचायत/लोक शिक्षा केन्द्र | २००१२ |
| ३. कुल निरक्षर अनुमानित | ७३.५८ लाख |

- योजना के सम्बन्ध में अन्य समस्त जानकारियाँ राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, भारत सरकार की वेबसाइट-.saaksharbharat.nic.in एवं .nlm.nic.in से प्राप्त की जा सकती हैं।